COURT FEE
भारत INDIA
बीस रुपये TWENTY RUPEES

निग /2699/II/15

321

मानुनीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश
= =

निगरानी प्रकरण क्रं. :- सन् 2015

अशोक कुमार तिवारी तनय हरिचरन तिवारी

निवासी ग्राम देरी तहसील व जिला छतरपुर म.प्र. .. निगरानीकर्ता

बनाम

विनोद भार्गव, अधि. 21-8-2015

1. श्रीमती मीरा पत्नी विजय गुप्ता नि. पठापुर रोड, छतरपुर म.प्र.

2. सुम्मेर सिंह तनय पदम सिंह नि. नरसिंहगढ़ पुरवा, छतरपुर म.प्र.

3. तारादेवी पत्नी भगवानदास प्रजापति, छतरपुर म.प्र.

21-8-15

4. श्रीमती सम्पतबाई पत्नी स्वामीदीन प्रजापति
निवासी इन्द्रपुरी कालोनी, पन्ना नाका छतरपुर

5. श्रीमती उर्मिला पत्नी कमलेश कुमार मिश्रा
नि. शांतिनगर कालोनी, छतरपुर म.प्र.

6. धनप्रसाद तनय बिहारीलाल सेन, छतरपुर म.प्र.

7. श्रीमती निर्मलादेवी पत्नी शीतल प्रसाद पटैरिया
निवासी छतरपुर म.प्र.

विनोद भार्गव एडवोकेट ग्वालियर 21-8-2015

8. कमलेश कुमार तनय काशी प्रसाद सेन
नि. ग्राम टटम जिला छतरपुर म.प्र.

9. केशर सिंह तनय मुकुन्द सिंह ठाकुर नि0 छतरपुर म.प्र.

10. छेदीलाल, भैयालाल, काशीराम, बाबूलाल पिता
तातिया अहिरवार निवासी छतरपुर म.प्र.

11. कमलेश तनय बारेलाल श्रीवास निवासी छतरपुर म.प्र.

12. मिठाईलाल तनय मोहनलाल निवासी ब्यारन, जिला छतरपुर

13. म.प्र. शासन ... .. गैर निगरानीकर्ता.

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 02.05.2015
अनुविभागीय अधिकारी महोदय, छतरपुर मध्यप्रदेश
प्रकरण क्रमांक- 75/बी-121/2013-2014
श्रीमती मीरा गुप्ता बनाम सुम्मेर सिंह वगैरह

महोदय,

गैर निगरानीकर्ता क्रं. एक द्वारा अधीनस्थ तहसीलदार महोदय.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- निग.- 2699-दो/2015 | जिला- छतरपुर

अशोक कुमार तिवारी विरूद्ध श्रीमती मोरा आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री विनोद भार्गव उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 75/बी-121/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 02-05-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 21-08-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी, जिला-छतरपुर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया	

जाना होगा ।

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जायें ।

09/01/19
(आर.के. जैन)
सदस्य